न्यायालय समाहर्त्ता, एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा
उत्पाद अधिहरण वाद संख्या–98 / 2018
बिहार सरकार द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा बनाम छेदी चौधरी

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
19/2/2020	**आदेश** प्रस्तुत उत्पाद वाद वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा के पत्रांक–262 / गो0, दिनांक–17.02.2018 से प्राप्त बिशनपुर थाना कांड सं0–33 / 17 दिनांक 04.06.2017 में बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 के अन्तर्गत जब्त वाहन विक्टा सूमो रजि0 नं0–BR11F-0658 को राज्यसात् करने हेतु अनुशंसा के आलोक में प्रारंभ की गयी है। सामान्य अनुक्रम में परिवहन कार्यालय पूर्णियाँ से पत्राचार कर वाहन स्वामी का नाम / पता प्राप्त किया तथा विपक्षी वाहन स्वामी को कारण पृच्छा हेतु नोटिस निर्गत किया गया। परन्तु नोटिस प्राप्ति के पश्चात् भी विपक्षी वाहन स्वामी उपस्थित नहीं हुए और न ही कारण पृच्छा दाखिल किये, न्यायहित में एकपक्षीय सुनवाई की गयी। विद्वान् विभागीय अधिवक्ता का कथन है कि पुलिस बल द्वारा रात्रि गश्ती के दौरान समस्तीपुर से दरभंगा जाने वाली SH-50 स्थित बिशनपुर चौक त्रिमुहानी पर संघन वाहन चेकिंग कर रहे थे, तो तेजी से व लापरवाही से चलाते एक वाहन आ रही थी। टार्च देकर रोकने का इशारा किया, लेकिन वाहन चालक इतनी तेजी से गाड़ी चलाया कि एक जवान को धक्का लगने से बच गये। गाड़ी तेजी से दरभंगा की ओर भागने लगा जिसका नं0–BR11F-0658 था। पुलिस जीप से पीछा किया तो ग्राम रामपुर डीह के निकट ग्रामीण सड़क पर पहुँचने पर वहाँ स्थानीय लोगों के यहाँ आयी बारात के भीड़–भाड़ में गाड़ी छोड़कर दोनों व्यक्ति भाग गये। खोजबीन के पश्चात् भी वे नहीं मिले। पुनः गाड़ी के पास आकर शंका के आधार पर दो स्थानीय साक्षी के समक्ष विधिवत् जामा तलाशी लेते हुए उक्त वाहन VICTA SUMO का गेट तोड़ने के पश्चात् पाया कि गाड़ी के अन्दर पिछले वाले सीट के नीचे रॉयल स्टैग विदेशी शराब 750*ml* का 09 कार्टून में 107 बोतल, 375*ml* का 06 कार्टून में 143 बोतल बरामद हुआ। जिसे विधिवत् उक्त वाहन के साथ जब्त किया गया। चूँकि बिहार राज्य में अवैध शराब का चौर्य व्यापार, परिवहन अथवा भंडारण पूर्णतः प्रतिबंधित एवं दण्डनीय अपराध है। अतः उक्त जब्त वाहन को राज्यसात् होना चाहिये। विद्वान् विभागीय अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त वाहन VICTA SUMO रजि0 नं0–BR11F-0658 से भारी मात्रा में 750*ml* का 107 बोतल, 375*ml* का 143 बोतल कुल 133.875 लीटर अवैध शराब बरामद हुआ है, जिसे पुलिस बल द्वारा विधिवत् उक्त वाहन के साथ जब्त किया गया है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा 56(घ) के तहत उक्त वाहन का उपयोग	

D:\2020\Excise Order\Chhedi Choudhary 98-2018.docx

अवैध शराब के परिवहन में किया जा रहा था। जबकि बिहार राज्य में अवैध शराब का चौर्य व्यापार, परिवहन तथा भंडारण प्रतिबंधित एवं दण्डनीय अपराध है।

विपक्षी वाहन स्वामी को कारण पृच्छा हेतु नोटिस निर्गत किया गया। नोटिस प्राप्ति के पश्चात् भी वे इस वाद की कार्यवाही में उपस्थित नहीं हुए और न ही कारण पृच्छा दाखिल किये जिससे स्पष्ट है कि उन्हें इस वाद की कार्यवाही में कुछ नहीं कहना है।

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–5049/2018 दिवाकर कुमार सिंह बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.03.18 के अनुपालन में उक्त नियामक तथ्यों से स्पष्ट है कि बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा 56(घ) के तहत संबंधित वाहन का उपयोग अवैध शराब के परिवहन में किया जा रहा था, जिसे राज्यसात् करने का प्रस्ताव समर्पित किया गया है। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त अधिनियम की धारा 58(3) के अनुरूप संबंधित वाहन स्वामी को समुचित अवसर प्रदान किया गया है।

अतएव उपरोक्त तथ्य के आलोक में बिशनपुर थाना कांड सं0–33/17 दिनांक 04.07.2017 में जब्त वाहन विक्टा सूमो रजि0नं0–BR11F-0658 को बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा 58(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 56(घ) के तहत राज्यसात् करने का आदेश दिया जाता है।

यदि संबंधित पक्षकार इस आदेश से असंतुष्ट हैं, तो 90 दिनों के अन्दर अपीलीय प्राधिकार, आयुक्त उत्पाद, बिहार के न्यायालय में अपील दायर कर सकते हैं।

आदेश की प्रति अधीक्षक, उत्पाद, दरभंगा को आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें।

आदेश की प्रति वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा को आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें।

आदेश की प्रति आयुक्त उत्पाद, बिहार, पटना को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजें।

उपर्युक्त विवेचना के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा